



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1819]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 11, 2014/भाद्र 20, 1936

No. 1819]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 11, 2014/BHADRA 20, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2014

का.आ. 2313(अ).—केन्द्र सरकार एतद्वारा दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) में अध्यक्ष (अंशकालिक) के रूप में श्री राज रेवाल और सदस्यों (अंशकालिक) के रूप में श्रीमती सोनाली भगवती, श्री इरिक पी. माल, श्री सतीश खन्ना और शहरी विकास मंत्रालय में अपर सचिव (शहरी विकास) की कार्यावधि को 3 सितम्बर, 2014 से अगले तीन महीनों की अवधि के लिए, अथवा नए अध्यक्ष (अंशकालिक) एवं सदस्य (अंशकालिक) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

[फा. सं. ए.-11013/4/2014-डीडी-II]

एस. बी. प्रसाद, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2014

S.O. 2313(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby extends the period of tenure of Shri Raj Rewal, as Chairman (Part-time) and Smt. Sonali Bhagwati, Shri Eric P. Mall, Shri Satish Khanna and Additional Secretary (UD) in the Ministry of Urban Development, as Members (Part-time) in the Delhi Urban Art Commission (DUAC), for a period of another three months with effect from 3rd September, 2014, or until the date on which the new Chairman (Part-time) and Members (Part-time) take over, whichever is earlier.

[F.No. A-11013/4/2014-DD-II]

S. B. PRASAD, Under Secy.